

दिनांक-28.11.2014 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में श्री अभय कुमार सिंह, समाहर्ता (भा0प्र0स), पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना/सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के साथ विकास एवं राजस्व संबंधित एवं अन्य कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार यथा संधारित ।

बैठक की कार्यवाही:- सर्व प्रथम समाहर्ता महोदय द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद किया गया एवं विकास एवं राजस्व तथा अन्य कार्य विन्दुओं पर समीक्षा की गई।

1. लोक सेवा का अधिकार
अनुपालन - श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र०	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1.	आर०टी०पी०एस० काउन्टर का औचक निरीक्षण	जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/नोडल पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह में कम-से-कम 1 प्रखंड/अंचल का निरीक्षण करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
2.	निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् लंबित आवेदनों का निष्पादन	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पेंशन योजना अंतर्गत सबसे अधिक अथमलगोला में 49, फुलवारीशरीफ में 42 एवं पालीगंज में 39 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी अथमलगोला, फुलवारीशरीफ एवं पालीगंज का 1 दिन का वेतन स्थागित करने का आदेश दिया गया एवं कारणपृच्छा की मांग की गई। साथ-ही-साथ प्रखंड कार्यालय मसौढ़ी में लंबित पेंशन के 24 मामले को सु मोटो अपील दायर करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।
3.	सु मोटो अपील दायर करना	सु मोटो अपील में दिनांक-16 नवम्बर से 28 नवम्बर 2014 तक अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ द्वारा 416, अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज द्वारा 128 एवं अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर द्वारा 76 अपील दायर किये गए हैं। अन्य सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया गया कि समय-सीमा के पश्चात् अनिष्पादित मामलों के विरुद्ध सु मोटो अपील दायर कर सेवा प्रदान कराना सुनिश्चित करायेगे।
4.	मानदेय भुगतान की स्थिति	आई०टी० प्रबंधक द्वारा बताया गया कि आई०टी० प्रबंधक एवं जिले के सभी आई०टी० सहायक/कार्यपालक सहायकों को माह अक्टूबर 2014 तक का मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।
5.	जिले का आर०टी०पी०एस० मसिक रैंकिंग	माह नवम्बर में जिले का रैंकिंग 21 वॉ स्थान पर है।

2. जिला विधि शाखा

अनुपालन :- श्री माधव कुमार सिंह वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र०	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	सी०डब्लू०जे०सी०/एम०जे०सी०/मानवाधिकार एवं लोकायुक्त के	1. जिला/अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सी०डब्लू०जे०सी०/एम०जे०सी० के लंबित वादों में शीघ्र प्रतिशपथ

लंबित मामलों की समीक्षा।	पत्र/कारणपृच्छा माननीय न्यायालय में दायर करने तथा दायर किए गए प्रतिशपथ पत्र से विधि शाखा के लंबित सूची का सही ढंग से मिलान करने का निदेश दिया गया। 2. मानवाधिकार एवं लोकायुक्त के लंबित मामलों में शीघ्र जाँच कर जाँच प्रतिवेदन जिला विधि शाखा, पटना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. जिला प्रोग्राम कार्यालय
अनुपालन :- श्री गोपाल प्रसाद केशरी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना।

क्र०	बैठक में समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1.	अंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता।	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम कार्यालय, पटना को अभी तक अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा 31, अंचलाधिकारी, दनियावाँ द्वारा 51, अंचलाधिकारी, सम्पतचक द्वारा 53 एवं अंचलाधिकारी, धनरुआ द्वारा 104 भूमि उपलब्धता से सम्बंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष अंचलों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
2.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से निम्नलिखित प्रतिवेदन अपेक्षित है :- 1. BTC Form 42A भेजे गए सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वापस कर दिया गया है। 2. निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक-1983 दिनांक-30.09.2014 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक-2483 दिनांक-15.11.2014 द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रेषित है, द्वारा BTC Form 42A के साथ विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाना है, जो अब तक अप्राप्त है। 3. निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सूचित किया गया है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना द्वारा उपावटित राशि वर्ष 2014-15 में विशेष घटक योजना के कार्यान्वयन हेतु 80,99,000/- एवं सामान्य घटक योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 8,28,00,000/- सभी प्रखण्डों को उपावटित किया गया है, जिस के विरुद्ध घोसवरी प्रखण्ड को छोड़कर शेष सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मात्र 40,00,000/- रुपये का निकासी किया गया है। उपावटित राशि के विरुद्ध अत्यंत कम राशि के निकासी होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक-2613 दिनांक-29.11.2014 से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से (घोसवरी को छोड़कर) 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जो अप्राप्त है। 4. प्रत्येक महीने में जिलाधिकारी, पटना द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा की जाती है। इसके लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महीने के 2 तारीख तक उपलब्ध कराने का निदेश है, लेकिन कुछ ही प्रखण्डों द्वारा प्रतिवेदन ससमय पर उपलब्ध कराया जाता है।

4. जिला जन शिकायत कोषांग
अनुपालन :- श्रीमती ममता झा, प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना।

क्र०	बैठक में समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	विभिन्न कार्यालयों यथा अनुमंडल, भूमि सुधार उप	1. मुख्यमंत्री जन शिकायत के निष्पादन संबंधी समीक्षा में अधिकांश कार्यालयों द्वारा उक्त कार्याविधि में कुछ न कुछ निष्पादन बताए गए। जिन

	समाहर्ता, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों द्वारा दिनांक 14.11.2014 के पश्चात् निष्पादित जन शिकायत संबंधी मामलों की संख्या की समीक्षा।	प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों द्वारा शून्य निष्पादन कराया गया था उनके प्रभारियों का एक दिन का वेतन काटने का निदेश दिया गया। 2. इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुशरूपपुर, बख्तियारपुर, बाढ़, पुनपुन, पालीगंज, विक्रम, दानापुर, बिहटा, नौवतपुर, एवं अंचलाधिकारी, बेलछी, फतुहों शामिल है। इसके अलावा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी, बाढ़ एवं पालीगंज पर शून्य निष्पादन के लिए खेद व्यक्त किया गया। 3. सभी प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया की यथाशीघ्र अपने यहाँ लम्बित जन शिकायत मामलों को प्राथमिकता के स्तर पर निष्पादन कराए।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

जिला कल्याण

अनुपालन :- श्री पवन कुमार मिश्रा जिला कल्याण पदाधिकारी/ अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना।

क्र०	बैठक में समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	विभिन्न मदों में छात्रवृत्ति का वितरण।	<ol style="list-style-type: none"> 1. वित्तीय वर्ष 2014-15 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवंटन की निकासी की जा रही है। निकासी की गई राशि के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त 17 प्रखंडों के लिए अनुसूचित जाति एवं मुशहर जाति छात्रवृत्ति की राशि माँग के अनुरूप संबंधित विद्यालयों को आर0टी0जी0एस0 किया जा रहा है। 2. वित्तीय वर्ष 2014-15 पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवंटन प्राप्त है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 31.10.2014 तक निर्धारित थी। विभाग द्वारा डैप्डाटा अप्राप्त है, प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। 3. वित्तीय वर्ष 2014-15 अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.12.2014 तक निर्धारित है। तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
2	ए0सी0/डी0सी0 बिल का प्रेषण।	<ol style="list-style-type: none"> 4. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के ई-मेल पर लंबित डी0सी0 बिल की सूची उपलब्ध करा दी गई है। 5. जिलाधिकारी, पटना के आदेशानुसार लंबित योजना के डी0सी0 बिलकीसूची बेवसाइट पर डाल दिया गया है। 6. संबंधित प्रखंडों से डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु अभिश्रवअ प्राप्त है एवं उनके द्वारा कराई गई समायोजन की सूचना भी अप्राप्त है।
3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम।	<ol style="list-style-type: none"> 7. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को इस कार्यालय के पत्रांक:-3279, दिनांक:-18.11.2014 द्वारा लंबित सूची भेज दिया गया है। उक्त संबंध में भवदीय निदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पटना से वार्ता की गई है।

6.

जिला आपदा शाखा

अनुपालन :- श्री मुकुल कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र०	बैठक में समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
01	ए0सी0/डी0सी0 बिल	लंबित ए0सी0 विपत्र सं0- 135/2009 राशि 1.00(एक लाख) रुपये के बारे में समीक्षा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में अनुपालन कर लिया जायेगा।
02	मृतक अनुग्रह अनुदान से सम्बन्धित वितरण की स्थिति	<p>क.(1) अभिलेख संख्या-01/14-15 पत्रांक 1575 दिनांक 24.11.14 द्वारा त्रुटिमार्जन हेतु अंचलाधिकारी, फतुहा को वापस किया गया है।</p> <p>(2) अभिलेख संख्या- 03/13-14 पत्रांक 1558 दिनांक 24.11.2014 द्वारा त्रुटिमार्जन हेतु अंचलाधिकारी, मोकामा को वापस किया गया।</p>

		<p>(3) अभिलेख संख्या- 05/14-15 पत्रांक 1559 दिनांक 24.11.14 द्वारा अस्वीकृत्योपरान्त अभिलेख अंचलाधिकारी, पटना सदर को वापस किया गया। अनुपालन अप्राप्त।</p> <p>(4) अभिलेख संख्या-11/13-14 में पत्रांक 539 दिनांक 12.06.14 द्वारा त्रुटिमार्जन हेतु पटना सदर को वापस किया गया।</p> <p>(5) पत्रांक 1465 दिनांक 31.10.14 द्वारा अभिलेख संख्या- 01/13-14 में त्रुटिमार्जन हेतु अंचलाधिकारी, खुशरूपुर को वापस किया गया।</p> <p>ख. गाँधी मैदान में मृतकों से सम्बन्धित अभिलेख की माँग अंचलाधिकारी, पटना सदर से की गयी है एवं 25.11.2014 को दूरभाष पर भी निदेशित किया गया है। अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना 01/14 संय 02/14 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को भेजा गया है। वितरण किया जा रहा है।</p> <p>ग) गाँधी मैदान हादसा में मृत/गम्भीररूप से घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि का वितरण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर को निदेशित किया गया है।</p> <p>घ) निजी अस्पताल में कराये गये चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राप्त निदेश का पालन। भुगतान करने हेतु विभाग से आवंटन की माँग की गयी है।</p> <p>ङ) बाढ़-2014 में मृतकों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति हेतु भेजने के सम्बन्ध में। बाढ़ 2014 में मृतकों का भुगतान सिर्फ अंचलाधिकारी, फतुहा एवं एक को बेलछी द्वारा किया गया है। अभिलेख स्वीकृति हेतु अप्राप्त है।</p>
03	निजी नाव किराया भुगतान	निदेशानुसार 30.11.14 तक नाव किराया का भुगतान किया जाना है। अभी तक अंचलाधिकारी द्वारा भुगतान से सम्बन्धित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

7. जिला विकास

अनुपालन :- श्री अविनाश कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र०	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
01	कब्रिस्तान की घेराबन्दी	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को निदेश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्व अपूर्ण कब्रिस्तानों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय। इस कार्यालय का पत्रांक 2266 दिनांक 27.11.14 से अपूर्ण कब्रिस्तानों की सूची विहित प्रपत्र में भरकर माँग की गयी है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राथमिकता सूची अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

8. जिला पंचायत शाखा

अनुपालन :- श्री पवन कुमार मंडल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।

क्र०	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	पंचायत सरकार भवन	पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु 59 पंचायत सरकार भवनों के लंबित भूमि प्रस्ताव के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को पंचायत का नाम उपलब्ध कराते हुए भूमि प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दिया गया।

		<p>(3) अभिलेख संख्या- 05/14-15 पत्रांक 1559 दिनांक 24.11.14 द्वारा अरवीकृत्योपरान्त अभिलेख अंचलाधिकारी, पटना सदर को वापस किया गया। अनुपालन अप्राप्त।</p> <p>(4) अभिलेख संख्या-11/13-14 में पत्रांक 539 दिनांक 12.06.14 द्वारा त्रुटिमार्जन हेतु पटना सदर को वापस किया गया।</p> <p>(5) पत्रांक 1465 दिनांक 31.10.14 द्वारा अभिलेख संख्या- 01/13-14 में त्रुटिमार्जन हेतु अंचलाधिकारी, खुशरूपुर को वापस किया गया।</p> <p>ख. गाँधी मैदान में मृतकों से सम्बन्धित अभिलेख की माँग अंचलाधिकारी, पटना सदर से की गयी है एवं 25.11.2014 को दूरभाष पर भी निदेशित किया गया है। अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि अभिलेख अंचलाधिकारी, पटना सदर को भेजा गया है। वितरण किया जा रहा है।</p> <p>ग) गाँधी मैदान हादसा में मृत/गम्भीररूप से घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि का वितरण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर को निदेशित किया गया है।</p> <p>घ) निजी अस्पताल में कराये गये चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राप्त निदेश का पालन। भुगतान करने हेतु विभाग से आवंटन की माँग की गयी है।</p> <p>ङ) बाढ़-2014 में मृतकों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति हेतु भेजने के सम्बन्ध में। बाढ़ 2014 में मृतकों का भुगतान सिर्फ अंचलाधिकारी, फतुहा एवं एक को बेलछी द्वारा किया गया है। अभिलेख स्वीकृति हेतु अप्राप्त है।</p>
03	निजी नाव किराया भुगतान	निदेशानुसार 30.11.14 तक नाव किराया का भुगतान किया जाना है। अभी तक अंचलाधिकारी द्वारा भुगतान से सम्बन्धित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

7. जिला विकास

अनुपालन :- श्री अविनाश कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
01	कब्रिस्तान की घेराबन्दी	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को निदेश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्व अपूर्ण कब्रिस्तानों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय। इस कार्यालय का पत्रांक 2266 दिनांक 27.11.14 से अपूर्ण कब्रिस्तानों की सूची विहित प्रपत्र में भरकर माँग की गयी है। वर्तमान में प्रखंडवार कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राथमिकता सूची की माँग सभी प्रखंडों से की गयी है।

8. जिला पंचायत शाखा

अनुपालन :- श्री पवन कुमार मंडल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।

क्र0	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	पंचायत सरकार भवन	पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु 59 पंचायत सरकार भवनों के लंबित भूमि प्रस्ताव के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को पंचायत का नाम उपलब्ध कराते हुए भूमि प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दिया गया।

9.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

अनुपालन :- डॉ० राजीव कुमार, उप विकास आयुक्त, पटना।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
01	इन्दिरा आवास:-	<p>सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से पृच्छा की गई कि इन्दिरा आवास 2014 के पहले का सर्वेक्षण करना था, जो अबतक पूरा नहीं हुआ है। पटना जिला अन्तर्गत मात्र पाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इन्दिरा आवास से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाढ़ के अवकाश में रहने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलछी को योजना पंजी के अनुसार पंचायतवार सर्वेक्षण करने हेतु निदेश दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा द्वारा पंचायतवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रम द्वारा बताया गया है कि पंचायतवार सर्वेक्षण का जॉन करवाया जा रहा है।</p> <p>तक अधोहस्ताक्षरी उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर अवकाश पर है। नौबतपुर प्रखण्ड के सभी पंचायत में लाभुकों की तैयार कर ली गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनेर द्वारा बताया गया कि द्वितीय किरस्त की राशि उपलब्ध नहीं हो रहा है। द्वितीय किरस्त की राशि को रिलिज करे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलछी द्वारा बताया गया कि इन्ट्री करने हेतु सिर्फ एक है। प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रम में 44 इन्ट्री होने के लिए, प्रखण्ड कार्यालय, घोसवरी-118, प्रखण्ड कार्यालय, फतुहों-18, प्रखण्ड कार्यालय, खुसरूपुर में बाकी है। इन्दिरा आवास योजना की द्वितीय किरस्त की राशि वितरण के संबंध में अपने प्रखण्ड से संबंधित जनप्रतिनिधि को सूचना उपलब्ध करा दें।</p>

10.

जिला राजस्व

अनुपालन :- श्री मनोज कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र०	कार्य विन्दु	अनुपालन/निदेश
01	ऑपरेशन बसेरा:-	<p>अंचलाधिकारी सम्पतचक-34, फुलवारीशरीफ-30, खुसरूपुर-10, दनियावॉ-16, बाढ़-40, अथमलगोला-11, पंडारक-34, मोकामा-37, घोसवरी-40, बख्तियारपुर-49, मसोढ़-42, पुनपुन-242, धनरुआ-50, दानापुर-26, मनेर-48, बिहटा-134, नौबतपुर-46, पालीगंज-62, बिक्रम-97 एवं दुल्हनबाजार-30 बन्दोवस्ती/बासगीत पर्चा तैयार होने की बात बतायी गयी। उक्त के अनुसार सभी अंचलाधिकारी दिसम्बर-2014 के प्रथम सप्ताह में पर्चा वितरण हेतु संभावित कैम्प के मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारी सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों की सूची जिला राजस्व शाखा, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अंचलाधिकारी, पटना सदर, बेलछी एवं फतुहों जिने के द्वारा अभी तक पर्चा नहीं तैयार किया गया है, निश्चित रूप से 50-50 लाभार्थियों का पर्चा तैयार रखेंगे। सभी अंचलाधिकारी दिनांक-04.12.2014 तक लाभार्थियों की सूची निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p>
02	आंगनबाड़ी एवं विद्यालय हेतु भूमि:-	<p>आंगनबाड़ी केन्द्र एवं विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने प्रखण्ड/अंचल में जो भी भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय की सूची प्राप्त है। उसके अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के स्थल के संबंध में सी०डी०पी०ओ० एवं विद्यालय के संबंध में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से स्थल की उपयोगिता से संबंधित अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त विहित प्रक्रिया के तहत भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p>
03	ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी:-	<p>ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, पटना सदर-2212, फुलवारीशरीफ-512, सम्पतचक-322, फतुहों-69, खुसरूपुर-325, दनियावॉ-43, मसोढ़ी-1726, पुनपुन-968, धनरुआ-1735, दानापुर-1529, मनेर-94, बिहटा-313, नौबतपुर-708, पालीगंज-474, बिक्रम-284, दुल्हनबाजार-219, बाढ़-423, बख्तियारपुर-285, मोकामा-113, अथमलगोला-70, बेलछी-218, घोसवरी-218 एवं पंडारक-441 द्वारा प्रपत्र-1 में लाभावन्तियों की संख्या बताया गयी है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि ऑपरेशन बेदखली से संबंधित प्रपत्र-1 सम्पूर्ण रूप से तैयार कर अविलम्ब जिला राजस्व शाखा, पटना को भेजना सुनिश्चित करें साथ ही कैम्प आयोजन के दौरान अंचल, फतुहों-49, पुनपुन-100, धनरुआ-16 मनेर-08, नौबतपुर-05, पालीगंज-20, बिक्रम-125, दुल्हनबाजार-42,</p>

